राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:– मुसप्र/2019/770 दिनांक:– 4/10/19

कार्यालय आदेश

उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम, जयपुर एवं मुख्य अभियंता–प्रथम के माध्यम से प्रताप नगर आवासीय योजना, सांगानेर में विभिन्न आय वर्ग के 12आवास/भूखण्ड का नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु अनुशंषा के आधार पर नीलामी से निस्तारित किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1	प्रताप नगर, सांगानेर, जयुपर	अल्प आय वर्ग	13/17	01
		मध्यम आय वर्ग–अ	75/359, 76/347, 105/223, 263/853, 264/51, 266/39	06
		उच्च आय वर्ग	101/155, 101/156	02
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (टी), घरौंदा अपार्टमेंट, सेक्टर–29	29–डी–175	01
		उच्च आय वर्ग (टी), सेक्टर–03	32/12	01
		उच्च आय वर्ग (प्लॉट), सेक्टर–10	100/159	01
कुल				12

उपरोक्त अनांवटित 12 आवास/फ्लैट्स को नीलामी के माध्यम से निस्तारण निम्न शर्तो पर किया जाना प्रस्तावित है :–

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंति करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलबध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन पैरा 8/एन पर प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

pc 1 D:\desktop newly\Office Work/General letter 2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
4. निजी सचिव–वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत प्रथम, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–तृतीय, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

04-10-19